राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4 ( ) परावि/पीसी/GCD Policy/12/1165   जयपुर दिनांक : 06/08/12

परिपत्र

वर्ष 2011 की जनगणना रिर्पोट के अनुसार राज्य में पुरूष एवम् महिला का अनुपात 1000 : 926 है जो राष्ट्रीय औसत 1000:940 से भी कम है। 6 वर्ष तक के बच्चों में यह अनुपात 1000 : 883 है। अतः जनसंख्या के प्राकृतिक संतुलन के लिए तथा समान लिगांनुपात के लिए वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों को गति दिये जाने की आवश्यकता है जिससे जनचेतना एवम् निरन्तर पर्यवेक्षण से बने हुए कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। पंचायती राज संस्थाऐं इसमें सशक्त भूमिका निभा सकती है। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किये जाने लाभप्रद होगे :–

1. आगामी माह में ग्राम सभाओं की एक विशेष बैठक आयोजित की जावे जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओ पर चर्चा की जावे :–
   - बालक एवम् बालिकाओं की जन्म दर मे असन्तुलन के कारण महिलाओ की संख्या कम होने के कारण सामाजिक एवम् आर्थिक कुप्रभाव।
   - अवैध रूप से लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण की हत्या के कार्य की अनैतिकता और इस विषय में बने हुए कानुनों की अनुपालना करवाने का सामाजिक दायित्व।
   - स्कूल एवं स्वास्थ्य केन्द्रो के निकट स्थित शराब के ठेको, पान की दूकानों को अन्यत्र भूमि आवंटन के प्रयास।
   - महिला सभाओं की बैठकों का नियमित आयोजन किया जाना सुनिश्चित करना तथा आंगनवाडी कार्यकर्ता/अध्यक्ष पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रति माह गर्भवती महिलाओ के पंजीकरण, शिशु के जन्म का पंजीकरण और उनके टीकाकरण के बारें में ग्राम सभा में चर्चा सुनिश्चित करवाना।
   - जिन ग्राम पंचायतों में महिला सभा गठित नही है, वहां पर इनका गठन तथा लिंग अनुपात के प्रकरणों में उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। इसी प्रकार के राज्य सरकार के 2 अक्टूबर 2010 के आदेशों द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाना जिसकी अध्यक्ष महिला वार्ड पंच है। पंजीकृत गर्भवती महिलाओ के प्रसव के

परिणामों का प्रबोधन एवं संदेहास्पद प्रकरणो की सम्पूर्ण जांच महिला सभा द्वारा सुनिश्चित किया जाना। पंचायत जन्म लेने वाली बालिका शिशु का जन्मोत्सव ग्राम पंचायत स्तर पर मनाने के बारे मे विचार कर सकती है।

- स्वयं सेवको के रूप में ऐसी महिलाओ का चयन जिन्हे पंचायत के कार्यक्षेत्र बांट दिये जाकर उनसे अनुरोध किया जावे कि वे एक माह की गर्भवती महिलाओ को आंगनवाडी केन्द्रो पर सूचना देना एवम् पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करवाने में भागीदार बने। गर्भधारण के 4 माह पश्चात इनके नाम महिला सभा एवम् ग्राम सभा में घोषित किये जावे।
- कुछ सशक्त बालिकाओ को आदर्श बालिकाओं के रूप मे चिन्हित कर संदर्भित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार किया जावे।
- 6 वर्ष से छोटी बालिकाओ के आंगनवाडी में पंजीकरण और 6 वर्ष से बडी बालिकाओं को स्कूल में पंजीकरण तथा 10वी कक्षा तक उनके ठहराव पर चर्चा। 3 वर्ष से 5 वर्ष के आयु समुह मे स्वस्थ बालिका शिशु को पंचायत स्तर पर चिन्हित कर उन्हे और अभिभावको को पुरस्कृत किया जावे, जो बालिकाएं पंचायत स्तर पर कक्षा पांचवीं, आठवी तथा दसवी से ग्यारवी कक्षा में सबसे अधिक अंक लावे उनका तथा उनके अभिभावको को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जावे।
- प्रत्येक आंगनवाडी में बालमित्र शौचालय तथा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय पर चर्चा और इसे सुनिश्चित किया जाना। ग्राम पंचायत इसके लिए अध्यापिकाओं एवं कलस्टर कॉर्डिनेटर को समयबद्ध कार्यक्रम देकर जानकारी प्राप्त करे तथा इस कार्य की समुचित निगरानी करे।

2. प्रत्येक गर्भवती महिला का आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण बच्चे के जन्म पर उसका पंजीकरण, मॉ और उसके बच्चे के टीकाकरण मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य दिवस के दिन किया जाता है। आंगनवाडी कार्यकर्ता इस सम्बन्ध में सूचना ग्राम पंचायत को देना सुनिश्चित करें। तीन माह का गर्भ होने के पश्चात लिंग का निर्धारण होता है। अतः इस अवधि में आंगनवाडी कार्यकर्ता/ए.एन.एम. को जागरूक रहना आवश्यक है।
3. लिंग परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्या पर बनाये गये कानुनों की कठोर अनुपालना कन्याओ के साथ होने वाले पक्षपात को रोकने में सफल होंगी। इस सम्बन्ध में ग्रामीण, ग्राम पंचायत के सरपंच एवम् सदस्य, स्वयं सेवक,

गॉव में पंचायत मे पदस्थापित सरकारी कर्मचारी, आंगनवाडी कार्यकता, आशा कार्यकर्ता इत्यादि आस–पास की क्लीनिक पर निगाह रखे और इसकी सूचना पुलिस एवम् जिला मजिस्ट्रेट को दे।

4. उक्त आदेशों की अनुपालना 15 अगस्त 2012 से सुनिश्चित करे तथा इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मासिक रिपोर्ट सचिव, पंचायती राज, को प्रेषित करना सुनिश्चित करे। समय–समय पर प्रगति की समीक्षा करे तथा जिन ग्राम पंचायतों में सन्तुलित लिंग अनुपात हो, बाल–विवाह नही हुआ हों, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण आदि का बच्चे के जन्म तक समुचित पर्यवेक्षण हुआ हो तथा सभी बालिकाए विधालयों में पढ रही हो एवम् आंगनवाडियों एवम् विधालयों में बालिकाओ के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था एवम् पानी की व्यवस्था हो उन्हे प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे ।
5. पंचायती राज संस्थाऐं ग्रामीण संस्कृति एवम् संस्कारों से गहराई से जुडी रहती है अतः उनकी जागरूकता एवम् बालिकाओं कों एक सुरक्षित एवम् पक्षपात रहित वातावरण देने में प्रतिबद्धता एवम् सकियता निश्चय ही प्रभावी होगी।

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, ब्लॉक 5, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग,
6. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, 2 जल पथ गांधीनगर, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला समस्त।
10. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास कार्यालय जिला समस्त।

अतिरिक्त मुख्य सचिव